

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 248 / 14 (दावा)
: 139 / 14 (प्रा.पत्र)

GCMS id : 2014 / 00023

GCMS id : 2014 / 00024

1. महेश कुमार मेघनी आत्मज कन्हैयालाल, जाति सिन्धी, निवासी मकान नम्बर 3-एम-12, 13 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा (वादी)

बनाम

1. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा
2. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत स्थायी निषेधाज्ञा


दिनांक : 05.07.2021

उपस्थिति : श्री हुकमचन्द जैन, वादी अभिभाषक

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।
2. वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि -
 - ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 600/149 रकबा 2.40 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 601/149 रकबा 2.40 हैक्टर कुल कित्ता 2 रकबा 4.80 हैक्टर आराजी स्थित है।
 - दिनांक 15.07.2014 को नगर विकास न्यास, कोटा के कर्मचारी वादी की आराजी पर आये तथा भूमि को नापने लगे, जिस पर वादी ने पुछा तो उन्होंने कहा कि यह जमीन नगर विकास न्यास, कोटा की है तथा इस पर निर्माण कार्य करवाया जावेगा। वादी ने अपने खातेदारी का प्रमाण भी बता दिया किन्तु बावजूद इसके नगर विकास न्यास, कोटा वादी की खातेदारी की भूमि में निर्माण कार्य करवादी को बेदखल करने पर आमादा है।
 - अतः प्रार्थना है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर, वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी क्रम-1 के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वह ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 600/149 एवं खसरा नम्बर 601/149 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, कब्जा नहीं करें तथा वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत व मजामहत न तो स्वयं करे और न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।
3. दौरान वाद, तहसीलदार (भू.अभि.), तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की ओर से

न्यायालय में विनिमय आदेश क्रमांक भू.अभि./2020/4249-50 दिनांक 21.07.2020 पेश हुआ जिसके अनुसार -

- वादी की ओर से विनिमय प्रार्थना पत्र पेश होने पर, पटवारी हल्का धर्मपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 600/149 रकबा 2.40 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 601/149 रकबा 2.40 हैक्टर वादी के खाते दर्ज है तथा खसरा नम्बर 918/1 रकबा 36.26 हैक्टर नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज रेकार्ड है।
 - उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से समान दूरी पर स्थित है।
 - अतः विनिमय प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट पटवारी के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत विनिमय प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
 - अतः ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की दौलतराम लालवानी पुत्र श्री परमानन्द के खाते दर्ज आराजी खसरा नम्बर 600/149 एवं 601/149 कुल कित्ता 2 रकबा 4.80 हैक्टर का नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज खसरा नम्बर 918/1 रकबा 36.26 हैक्टर में से 4.80 हैक्टर का विनिमय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
 - सम्बन्धित पटवारी हल्का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम कर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से नामान्तरकरण निर्णित कराये।
4. उपरोक्तानुसार पेश किये गये विनिमय आदेश से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी की ओर से चाहा गया अनुतोष का रकबा प्राप्त हो चुका है। उक्त आदेशानुसार किया गया विनिमय वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर किया गया है। अतः वादी की ओर से पेश गये मूल वाद का अनुतोष प्राप्त करना शेष नहीं रहा है। अतः वाद वादी इसी स्तर पर (Drop) समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इस आदेश के प्रभाव से प्रकरण की विवादित आराजी पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिवस से स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 05.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी - बालकृष्ण तिवारी, R.A.S.

1. महेश मेघानी आत्मज कन्हैयालाल, जाति सिन्धी, निवासी 3-एम-12.13, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा (वादी)

बनाम

1. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा
2. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 248 / 14 (Plaint)
: 139 / 14 (Application)
निर्णय दिनांक : 05-04-2021

GCMS id : 2014 / 00023
GCMS id : 2014 / 00024

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री हुकमचन्द जैन एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री रामकल्याण की उपस्थिति में वादपत्र के विरुद्ध पेश विनिमय प्रार्थना पत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 05-07-2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर तहसीलदार (भूअभि), तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की ओर से न्यायालय में विनिमय आदेश क्रमांक भूअभि./2020/4249-50 दिनांक 21.07.2020 के अनुसार ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 600/149 रकबा 2.40 हैक्टर एवं 600/149 रकबा 2.40 हैक्टर कुल कित्ता 4.80 हैक्टर का नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज खसरा नम्बर 918/1 रकबा 36.26 हैक्टर में से 4.80 हैक्टर से विनिमय हो जाने से वाद वादी इसी स्तर पर (Drop) समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इस आदेश के प्रभाव से प्रकरण की विवादित आराजी पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिवस से स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। डिक्री पर्या पृथक से जारी किया गया।
- खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 05 जुलाई, 2021 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2. अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. अदर्शा के लिये स्टाम्प		3. लीडर के लिये फीस	
4. रुपये पर लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तानिल	
6. कमिश्नर की फीस आदेशिका की तानिल जोड़		6. कमिश्नर की फीस जोड़	